

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 5, 1973/भाद्रपद 14, 1895

No. 204] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 1973/BHADRA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

LOK SABHA
NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September 1973

No. 41/2/CI/73.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 4th September, 1973, is hereby published for general information:—

“No. 1346

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
(Fifth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

RULE 197

1. In Explanation (ii) to sub-rule (2) of rule 197, for the figures and word “10.30 hours”, wherever they occur, the figures and word “10.00 hours” shall be substituted.

RULE 312B

2. In sub-rule (1) of rule 312B, for the words “ten members”, the words “fifteen members” shall be substituted.

S. L. SHAKDHER,
Secretary.”

लोक सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 1973

संख्या 41/2/सी० 1/73.—लोक सभा सामग्री भाग—2, दिनांक 4 सितम्बर, 1973 में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा ~~एतद्वारा सामान्य~~ जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है —

“संख्या 1346

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी
नियम (पाचवीं संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पाचवां संस्करण) के नियम 331 के उपनियम (3) के अनुसरण में उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

नियम 197

1. नियम 197 के उपनियम (2) के स्पष्टीकरण (दो) में, “10.30 बजे” श्रृंखला और शब्द जहाँ कहीं भी आयें, उनके स्थान पर “10.00 बजे” श्रृंखला और शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

नियम 312 ख

2. नियम 312 ख के उपनियम (1) में “दस सदस्य” शब्दों के स्थान पर “पन्द्रह सदस्य” शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

श्यामलाल शकधर,

सचिव।”